उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्तिभवनविस्तार, 14 –अशोकमार्ग, लखनऊ 226001

UP RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
Shakti Bhawan Extn., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001
(A UP GOVERNMENT UNDERTAKING)

पत्रांक: 107–उनिलि/रिफॉर्म/कार्य नीति/2014 दिनाँक: 19 जुलाई 2014

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में निगमादेश सं0 155–उनिलि/रिफॉर्म/वर्क्स/2011–12 दिनाँक 23–09–2011 द्वारा गठित सी.डब्लू.सी.सी./सी.डब्लू.सी.डी. के क्रियान्वयन को अग्रेतर आदेशों तक स्थगित किया जाता है। लागू कार्यनीति में निम्न प्राविधान किये जा रहे हैं:–

(अ) कार्य/सेवा अनुबन्धों से सम्बन्धित निविदाओं का प्रकाशन एवं निस्तारण इत्यादि समस्त कार्यमण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता एवं सम्बन्धित खण्ड/खण्डों के अधिशासी अभियन्ता द्वारा संयुक्त रुप से किया जायेगा।लेकिन कार्यादेश सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत किये जायेंगे एवं वही इंजीनियर ऑफ कान्ट्रेक्ट होंगे। इस प्रकार निविदा निस्तारणोंपरान्त कार्यादेश निर्गत करने से लेकर कार्य सम्पादन का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड (यूज़र डिवीज़न) का होगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ एक से अधिक खण्डों के समान कार्य हेतु एक निविदा निर्णित की जायेगी उन प्रकरणों में जिस खण्ड से सम्बन्धित कार्य का मूल्य अधिकतम होगा, उस खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में अन्य सम्बन्धित खण्डों (यूज़र डिवीज़न) के अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धितकार्य के क्रियान्वयन, गुणवत्ता Timeframe एवं BillVerification इत्यादि हेतु उत्तरदायी होगें।

(ब) प्रत्येक खण्ड को कार्य/सेवाअनुबन्धो की वार्षिक आवश्यकताओं का, विगत तीन वर्षों के खपत के आधार पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता तथा ओ0एण्ड0एम0 प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ओ0एण्ड0एम0 प्रमुख द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय उपरोक्त खण्ड के प्रविधानित बजट की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(स) निविदाओं की विशिष्टियों का finalization निविदा विशिष्टीकरण समिति द्वारा किया जायेगा एवं समितियों का गठन निम्नवत् होगा :–

Concerning O&M Head	President
concerned SE	Technical Member
EE of the user unit	Member Convener
Dy. CAO/SAO	Finance Member

निविदा विशिष्टिकरण समिति द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जायेंगे:–

1–विभिन्न प्रकार की विशिष्टियों एवं क्रय समयावधि को ध्यान में रखते हुये समान प्रकार के कार्य एवं सेवाओं को संकलित करके तैयार किया जाना।

2–आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये समिति निविदाओं को खुली/अल्पकालिक निविदा के माध्यम से कराने की संस्तुति प्रदान करेगी।

3– समिति कार्य से सम्बन्धित सेवाओं की तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशिष्टियों का अवलोकन करते हुये इनका मानकीकरण करेगी। समिति कार्य सेवाओं के अवयवों को निम्न आधार पर shortlist करने की संस्तुति करेगी, जिनको एकल निविदा या सीमित निविदा के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा।

– कार्यसेवाओं के मूल उपकरण निर्माता या उनके अधिकृत सर्विस सेन्टर

– प्रतिष्ठित कंपनियों की प्रमाणित सेवाओं के निष्पादन के आधार पर
– मूल उपकरण निर्माता द्वारा संस्तुत कार्यसेवाओं के आधार पर
– समिति द्वारा निर्धारित अन्य वर्ग के आधार पर

4 समिति निगम द्वारा जारी निगमादेश के आधार पर यह भी निर्णय लेगी की कार्यसम्बन्धी निविदाएं सामान्य टेण्डरिंग/ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया के माध्यम से कराया जायें। इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन लेना होगा।

5 समिति को 03 हफ्तों के अन्दर विशिष्टियों को अंतिम रुप देना होगा।

6 गैर रख–रखाव से सम्बन्धित इकाइयों के सम्बन्ध में समिति का अध्यक्ष उस इकाई का प्रमुख होगा एवं अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के समकक्ष अधिकारी तकनीकी सदस्य होगा।

7 निविदा से सम्बधित तकनीकी विशिष्टियों की जिम्मेदारी समिति के तकनीकी सदस्य एंव सम्बंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता की होगी।

8 निविदा से सम्बधित कानूनी एवं वाणिज्यिक विशिष्टियों की जिम्मेदारी समिति के वित सदस्य एंव सम्बंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता की होगी।

9 निविदा से सम्बधिंत पूर्व योग्यता, निविदा पैकेज, एकल भाव खरीद की संस्तुति की जिम्मेदारी सम्मिलित रुप से सभी सदस्यों की होगी।

(द) निविदा विशिष्टीकरण समिति की अंतिम संस्तुति के उपरान्त, सम्बन्धित मण्डल द्वारा निविदा प्रकाशन एवं टेन्डरिंग/ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किया जाएगा। तैयार निविदा निगम बेवसाइट (www.uprvunl.org)/ उ0प्र0 शासन की ई–टेन्डरिंग बेवसाइट (www.etender.up.nic.in) पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा एवं निविदा की डाउनलोडेड प्रति ही कार्यालीय कार्य हेतु मान्य होगी। इस प्रकार कोई भी निविदा प्रपत्र (Hard Copy) का विक्रय कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

(य) **निविदा समिति तथा उसके प्राधिकारः–** परियोजना स्तर पर निविदा समितियों का गठन तथा उनके प्राधिकारों का निर्धारण समय–समय पर जारी निगमादेशों के अनुसार होगा। उदाहरण स्वरूप परियोजना निविदा समिति, मुख्य अभियन्ता समिति एवं अधीक्षण अभियन्ता समिति पूर्व की तरह कार्यरत रहेगे। उक्त समिति निविदा के साथ उसकी विशिष्टियों का अवलोकन करेंगी तथा निविदा का single non editable acrobat PDF file में अपलोड होना सुनिश्चित करेगी। निविदा समिति के तकनीकी तथा वित्त सदस्य क्रमशः निविदा के तकनीकी तथा वित्तीय परीक्षण के लिये जिम्मेदार होगें। निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम संस्तुति की जिम्मेदारी पूरी समिति की होगी।

(र) **आकस्मिक कार्यों हेतु प्राविधानः** आकस्मिक एवं नितान्त आवश्यक कार्यों को सीमित निविदा द्वारा करवाये जाने हेतु निम्न वित्तीय प्राधिकार होगें :–

परियोजना प्रमुख	रु. 3.00 लाख तक
निदेशक (तकनीकी)	रु. 3.00 लाख से ऊपरअधिकतम रु. 5.00 लाखं तक

इस प्रकार कराये जाने वाले कार्य हेतु कारणों को स्पष्ट इंगित करना होगा एवं अनुमोदित प्रकरणों की मासिक सूचना परियोजना द्वारा निदेशक (तकनीकी) को देनी होगी।

(ल) **गुणवत्ता निर्धारणः–** सम्बन्धित मण्डल प्रमुख द्वारा निविदाओं की गुणवत्ता निर्धारण हेतु नीति निर्धारण किया जाएगा एवं सम्बन्धित खण्डों के साथ मिलकर नीतियों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

(व) **निगम बेवसाइट पर निविदाओं का प्रकाशनः–** प्रत्येक कार्यादेश को निगम की बेवसाइट पर प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा। कार्यादेश की डाउनलोडेड प्रति भुगतान हेतु संलग्न करना आवश्यक होगा। इसका सुनिश्चीकरण वित्त एवं लेखा इकाई द्वारा किया जायेगा।

(श) **परियोजना प्रमुख द्वारा माहवार निम्न समीक्षा की जाएगी :–**

1. विशिष्टियों के मानकीकरण का होना।
2. निविदा के निस्तारण हेतु समय सीमा का अनुसरण होना।
3. कार्य सेवाओं की आवश्यकताओं की समीक्षा किया जाना।
4. खण्डों हेतु आंवटित बजट प्राविधान तथा उसका उपभोग
5. एकतिमाही में किये गये आपातकालीन कार्यों का विवरण।

कार्य नीति के उपरोक्त प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगें एवं इस निगमादेश के जारी होने के साथ ही सी.डब्लू.सी.सी./सी.डब्लू.सी.डी. द्वारा कोई भी निविदायें आमंत्रित नहीं की जायेंगी। वर्तमान में सी.डब्लू.सी.सी./सी.डब्लू.सी.डी. द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में निम्न् प्राविधान परियोजना प्रमुख अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे–

– सी.डब्लू.सी.सी./सी.डब्लू.सी.डी. द्वारा किये जा रहे कार्यों का निस्तारण, चलित निविदा पत्रावली एवं पूर्व में निस्तारित निविदा पत्रावली को सम्बन्धित खण्डों को हस्तांतरित करने का कार्य 31 जुलाई 2014 तक पूर्ण करा लिया जाये। प्रक्रियाधीन निव्रिदा पत्रावली हस्तांतरित खण्ड द्वारा निस्तारित की जायेगी।

– सी.डब्लू.सी.सी./सी.डब्लू.सी.डी. द्वारा एक से अधिक खण्डों के समान कार्य हेतु एक निविदा आमंत्रित की गयी हो उन प्रकरणों में जिस खण्ड से सम्बन्धित कार्य का मूल्य अधिकतम होगा, उस खण्ड को निविदा पत्रावली हस्तांतरित की जाये।

<u>निदेशक मण्डल की आज्ञा से</u>

पत्रांक : 107 उनिलि/रिफॉर्म/कार्य नीति/2014 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उनिलि के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी)/निदेशक(वित्त)/निदेशक(कार्मिक), उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. कंपनी सचिव, उनिलि, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता,अनपरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/ओबरा ताप विद्युत गृह,उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0।
5. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।

(सुबीर चकवर्ती)
मुख्य अभियन्ता (पी0पी0एम0एम0)